जबलपुर | शनिवार I 18 अप्रैल 2026 I वर्ष 77 I अंक 85 I पृष्ठ 12 I मूल्य रु. 5.00 navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

5 अमानक बीज मामले में कार्रवाई : केंद्रीय मंत्री

6 परिसीमन के बहाने सियासी पासा फेंकना आत्मघाती

7 टैक्स फ्री आय पर भी रिटर्न जरूरी

8 ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद उबेर कप से हटीं

एक नजर में

215 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन गवाह

नई दिल्ली. कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 215 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने अब सरकारी गवाह बनने की कोशिश शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय की इस जांच में अभिनेत्री ने एक याचिका दायर कर जांच में पूर्ण सहयोग करने और सरकारी गवाह बनने की इच्छा व्यक्त की है. इससे पहले, सितंबर 2025 में जैकलीन को उस समय बड़ा झटका लगा था जब उच्चतम न्यायालय ने उनके खिलाफ ईडी के मामले को रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।

अमरनाथ यात्रा के लिए 25 हजार का रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली. दक्षिण कश्मीर में बनी अमरनाथ गुफा मंदिर की सालाना यात्रा के लिए अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. मुख्य सचिव अटल डुल्लु ने यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी सुविधाओं को पूरा करने के लिए 20 जून की डेडलाइन तय की. गुफा मंदिर की 57 दिनों की तीर्थयात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल को शुरू हुआ है. अकेले पहले दिन ही 19,402 रजिस्ट्रेशन हुए थे.

पाक : गैस पाइप लाइन में धमाके से 8 लोगों की मौत

पेशावर/हरिपुर. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां हरिपुर जिले के हत्तर इंडस्ट्रियल एस्टेट में गैस पाइपलाइन में भीषण विस्फोट हो गया .इस हादसे में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं .विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके तुरंत बाद इलाके में आग भड़क उठी, जिसने आसपास के घरों और फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया .घटना ग्रैंड ट्रंक रोड के पास स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र में हुई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

गुस्ताखी माफ

महिला आरक्षण बिल गिरा

लोकसभा में शाह ने कहा- विपक्ष को देश माफ नहीं करेगा

298 पक्ष में और 230 वोट पड़े विपक्ष में

352 वोटों की जरूरत थी बिलों को पास कराने के लिए

नई दिल्ली, 17 अप्रैल. महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान के 3 संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई. 21 घंटे की चर्चा के बाद सबसे पहले संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग हुई. संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 के जरिए 850 सीटें करने का प्रावधान था. इसके पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े. लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले.

बिलों को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी. 528 का दो तिहाई 352 होता है. इस तरह बहुमत नहीं मिलने से ये बिल पास 54 वोट से गिर गया. इसके बाद सरकार ने बाकी 2 बिल- परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल 2026 पर सरकार ने वोटिंग कराने से इनकार कर दिया. 11 साल के शासन में यह पहला मौका जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई.

इससे पूर्व लोकसभा में शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधन बिलों पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जो सीटें बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं, वह ये ध्यान में रखें कि वे एससी-एसटी की सीटें बढ़ाने का भी विरोध कर रहे हैं. शाह ने कहा परिसीमन में किसी से भेद नहीं किया. (शेष पेज 12 पर)

शाह बोले- राष्ट्र और जनता सर्वोपरि

शाह ने कहा- जाति जनगणना का रिपोर्ट भी जाति के साथ ही जाएगी. उस पर सदन विचार करेगा और जो सामूहिक विचार बनेगा भाजपा उसके साथ आगे बढ़ेगी. उनके लिए चुनाव जीतना सर्वोपरि है. हमारे लिए देश सर्वोपरि है. जनता सर्वोपरि है. कांग्रेस के मित्रों को कहता हूं कि सिर्फ नारे लगाने से देश का पिछड़ा वर्ग आपको हितैषी नहीं मानेगा. ये दिखावटी प्रेम देश की जनता जानती है. आज से देश की महिला भी जानेगी कि कांग्रेस ने हमारा अधिकार छीना .देश की माताओं बहनों के लिए आरक्षण आ रहा है तो लग रहा था विरोध नहीं होगा. लेकिन हो रहा है. मैं अभी बताया कि 2023 में सर्वसम्मति से ये बिल पारित हुआ, लेकिन आज कांग्रेस पीछे हट रही है. इसके दो ही कारण हैं- क्योंकि बिल मोदी जी ला रहे हैं और क्रेडिट उन्हें मिलेगा. मोदीजी ने उन्हें एड देकर क्रेडिट देने का कह दिया फिर भी ये नहीं मान रहे हैं.

देश के लिए काला दिन : शिवराज

महिला आरक्षण से जुड़ा बिल गिरने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि यह देश के लिए काला दिन है. महिला सांसदों ने संसद के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया. बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी हर चीज का विरोध करते हैं। देश की महिलाएं उन्हें माफ नहीं करेंगी.

सत्ता हथियाना चाहती है बीजेपी : राहुल गांधी

महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर लोकसभा में चल रही बहस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर कई आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता हथियाना चाहती हैं. बीजेपी जातिगत जनगणना को दरकिनार कर ओबीसी समुदाय से बचने और उनके मुद्दों से दूरी बनाने का प्रयास कर रही है. राहुल ने आरोप लगाया कि ओबीसी वर्ग के अधिकार छीने जा रहे हैं. कहा कि सत्ता पक्ष देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति से घबराया हुआ है. हार के डर से चुनावी व्यवस्था को फिर से ढालने की कोशिश की जा रही है. दावा किया कि ऐसा प्रयोग पहले असम में किया गया था. अब वही रणनीति राष्ट्रीय स्तय पर अपनाई जा रही है. सरकार इस बिल के जरिए दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों से प्रतिनिधित्व छीनने की कोशिश हो रही है.

सिंगरौली की महाराष्ट्र बैंक में फिल्मी स्टाइल में हुई डकैती

05 नकाबपोश दिनदहाड़े बैंक में घुसे

35 लाख रुपए ले उड़े बदमाश

सिंगरौली, 17 अप्रैल. शहर के बीचोंबीच संचालित महाराष्ट्र बैंक में दिनदहाड़े बंदूक की नोक पर पांच बदमाशों ने डकैती को अंजाम दिया. घटना के दौरान डकैतों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की.

बताया जा रहा है कि एक आरोपी हेलमेट पहनकर एवं चार आरोपी हथियारों से लैस होकर बैंक में घुसे. उन्होंने बैंक के एक दर्जन कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर पहले बंधक बनाया और फिर लाखों रुपये कैश सहित गोल्ड लेकर मौके से फरार हो गए. करीब 35 लाख रुपए होने की आशंका जताई जा रही है.बताया जा रहा है कि बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं मौजूद था.

एक ही लॉकर में रखा था सोना

जानकारी के मुताबिक, लूटा गया सोना ग्राहकों का था, जिसे बैंक ने गिरवी रखकर लोन जारी किया था. सोना एक ही लॉकर में रखा गया था, जिसे बदमाशों ने निशाना बनाया. आरोपी पिट्ठू बैग के साथ एक बड़ा कपड़े का थैला लेकर आए थे. उसी में सारा माल भरकर फरार हो गए.

यह एक बैंक की बड़ी लापरवाही है. वहीं दूसरी ओर पुलिस ने शहर सहित जिले में हाई अलर्ट जारी करते हुए आने जाने वाले लोगों पर नाकाबंदी की है एवं बाइक में सवार फरार आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है. मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत पुलिस की पांच टीमें गठित की हैं और टीमें अन्य इलाकों के लिए रवाना की गई हैं. पुलिस शहर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है.

चंबल अभयारण्य में अवैध खनन रोकने सुको सख्त

नई दिल्ली, 17 अप्रैल. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध बालू खनन की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिया कि वे ऐसे कार्यों के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करें.

इन राज्यों की पूर्ण विफलता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह मौन दर्शक नहीं रह सकता. शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि यदि अधिकारी अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए ठोस कदम नहीं उठाते हैं, तो उसे केंद्रीय बलों की तैनाती व बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने जैसे निर्देश जारी करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा.

कार-बस की टक्कर में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत

यादगीर, 17 अप्रैल. कर्नाटक के यादगीर जिले में शुक्रवार को कार और बस की टक्कर में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई. आमने-सामने की टक्कर के बाद कार और बस दोनों में आग गई थी. शुरुआती जांच के मुताबिक, कार का टायर फटने से ड्राइवर का कंट्रोल छूट गया. इसी दौरान सामने से आ रही बस से टक्कर हो गई. कार में 10 लोग सवार थे, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे. सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां 9 लोगों की मौत हो गई.

कांग्रेस विधायक समेत 16 को उम्रकैद

बीजेपी नेता के मर्डर केस में बेंगलुरु कोर्ट का बड़ा फैसला

बेंगलरु, 17 अप्रैल. बीजेपी नेता योगेश गौड़ा हत्याकांड के मामले में बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी सहित 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

बता दें कि बीजेपी के नेता और जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा की 15 जून, 2016 को धारवाड़ में उनके जिम के बाहर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने जांच की थी, लेकिन बाद में परिवार की मांग और राजनीतिक दबाव के चलते मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था. अदालत ने इस मामले को हत्या और आपराधिक साजिश का गंभीर मामला माना. सजा सुनाते हुए कोर्ट ने दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है. कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी और 15 अन्य मुख्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है. कोर्ट ने सभी 16 दोषियों पर 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

खतरे में विनय कुलकर्णी की कुर्सी

विनय कुलकर्णी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं और वो सिद्धारमैया सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. इस फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी तलवार लटक गई है. कानून के मुताबिक, अगर किसी जन प्रतिनिधि को दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है.

खुशखबरी | ईरानी विदेश मंत्री अराघची का बड़ा ऐलान

पूरी तरह से खोला गया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

तेहरान, 17 अप्रैल. पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है. ईरान ने घोषणा की है कि लेबनान में लागू युद्धविराम के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य से सभी वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही पूरी तरह खुली रहेगी.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि युद्धविराम की अवधि तक इस अहम समुद्री मार्ग से जहाजों का आना-जाना बिना किसी बाधा के जारी रहेगा. उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की. अराघची के मुताबिक, यह फैसला लेबनान में हुए युद्धविराम के अनुरूप लिया गया है, ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे और वैश्विक व्यापार प्रभावित न हो. ईरान ने स्पष्ट किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले सभी वाणिज्यिक जहाजों को पहले से तय और समन्वित मार्ग का ही पालन करना होगा. यह मार्ग ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पहले ही निर्धारित किया जा चुका है.

ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार : ट्रम्प

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने दावा किया है कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने तैयार हो गया है. एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में होता है. ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से यह भी कहा कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब हैं.

भारत की जनगणना 2027 CENSUS OF INDIA जनगणना से जन सशक्तिकरण

गृह मंत्रालय भारत सरकार सत्यमेव जयते

हमारी जनगणना हमारा विकास

(जनगणना 2027 का पहला चरण)
स्व-गणना (Self Enumeration) से जुड़े सामान्य प्रश्न और उत्तर (भाग-2)

स्व-गणना क्या है?

स्व-गणना एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें आप प्रगणक की प्रतीक्षा किए बिना, स्वयं SE पोर्टल (se.census.gov.in) पर अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं

- स्व-गणना के क्या लाभ हैं?
  - अपनी सुविधा से जानकारी भर सकते हैं
  - गोपनीयता सुनिश्चित
  - जनगणना प्रक्रिया को तेज़ और कुशल बनाती है
- स्व-गणना पोर्टल में लॉग-इन कैसे करें?
  - राज्य / संघ राज्य क्षेत्र चुनें
  - मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल (वैकल्पिक) भरें
  - OTP द्वारा सत्यापन करें
  - स्व-गणना शुरू करें
- अपने घर का सही स्थान कैसे चिन्हित करें?
  - जिला / पिनकोड चुनें
  - क्षेत्र / लैंडमार्क दर्ज करें
  - मैप पर ज़ूम करें और घर के पास लोकेशन मार्क करें (सटीक पता न दिखने पर घबराएं नहीं)
  - सही लोकेशन चिन्हित करना आवश्यक है
- क्या मैं अपनी जानकारी बाद में संशोधित कर सकता / सकती हूँ?
  - सबमिट करने से पहले एडिट कर सकते हैं
  - सबमिशन के बाद, प्रगणक के आने पर ही बदलाव संभव होगा
- क्या स्व-गणना (SE) पोर्टल को भारत के बाहर से एक्सेस किया जा सकता है?

  नहीं, यह सुविधा केवल भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर उपलब्ध है
- यदि सबमिशन के बाद गलती पता चले तो क्या करें?

  प्रगणक के आने पर SE ID के साथ सुधार करवाया जा सकता है
- क्या मैं फॉर्म सेव करके बाद में पूरा कर सकता / सकती हूँ?

  हां, आप प्रोग्रेस सेव कर सकते हैं और निर्धारित समय के भीतर फॉर्म पूरा कर सकते हैं

टोल फ्री - 1855

चलो निभाएं अपनी ज़िम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी CensusIndia2027

CBC 19108/13/0037/2627